सं: 1:05:138:II:सीएस **दिनांक: 27 दिसंबर, 2018**

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) **MUMBAI – 400 051.** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-**400 051**	**Bombay Stock Exchange Limited,** Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, **MUMBAI – 400 001.** बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-**25,** पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-**400 001**

विषय: 06 दिसंबर 2018 को केबिनेट निर्णय के संबंध में पीएफसी का कथन – आरईसी में पीएफसी की संपूर्ण सरकारी हिस्सेदारी के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन।

महोदय/महोदया,

दिनांक 11.12.2018 की हमारी फाइलिंग द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने दिनांक 11 दिसंबर 2018 को आयोजित अपनी बैठक में निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 11 दिसंबर 2018 के कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख किया। इसके साथ दिनांक 06 दिसंबर 2018 की पीआईबी विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है, जो रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी लिमिटेड) में भारत सरकार की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयरधारिता में मौजूदा 52.63% हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ करने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किए जाने के केबिनेट निर्णय से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त, हमारी दिनांक 20.12.2018 की फाइलिंग द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 20 दिसंबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ सैद्धांतिक 'मंजूरी' प्रदान की है। यह धारा 186 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, लागू भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियमों के अध्यधीन है और इसके अतिरिक्त निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 11 दिसंबर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा यथासूचित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय के अनुसरण में और सेबी (शेयरों और अधिग्रहणों के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार आरईसी में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ भारत सरकार की संपूर्ण शेयरधारिता को खरीदने के लिए यथापेक्षित सभी अन्य कदम उठाने/कार्रवाई करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, दिसंबर 2018 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति द्वारा संबंधित पक्षकार लेन-देन के अनुमोदन के अनुसरण में ऐसे आवश्यक अनुमोदनों, अनुमतियों और संस्वीकृतियों (जो भी अपेक्षित हो) के अध्यधीन है।

उपर्युक्त के संबंध में, पीएफसी को इस सौदे (डील) के बारे में निवेशकों से विभिन्न सवाल प्राप्त हो रहे हैं। निवेशकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में पीएफसी का कथन इसके साथ संलग्न है।

आपकी सूचना और रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत।
धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com